5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C.F.Rs. 15

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक : --------/1998/अपील

1096 अ.98/1096
096 अ/542/98
प्रस्तुत 11.6.98
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

तेज पिता पीराजी, जाति बांछडा, आयु 30 वर्ष लगभग निवासी ग्राम चिंतामन जवासिया तहसील व जिला उज्जैन म0प्र0 -------- अपीलांट

वि रू द्ध

नागू पिता माधूजी, मृत वारिसान-

1- देवीसिंह पिता नागूजी, आयु 30 वर्ष
2- प्रकाश पिता नागूजी, आयु 20 वर्ष
निवासीगण ग्राम चिंतामन जवासाया तहसील उ ज्जैन
3- कमलाबाई पत्नी करणसिंहजी पुत्री नागूजी 50 वर्ष
निवासी ग्राम रन्खासा तहसील व जिला इन्दौर
4- लीलाबाई पत्नी मांगीलालजी पुत्री नागूजी, 35 वर्ष
निवासी ग्राम ऐलमखेडी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन
5- गंगाबाई पत्नी कालूजी पुत्री नागूजी, 25 वर्ष
निवासी राउ, जिला इन्दौर म0प्र0
6- सीताबाई विधवा नागूजी, आयु 70 वर्ष
निवासी चिंतामन जवासिया तहसील उज्जैन
7- मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार
तहसील उज्जैन म0प्र0
8- अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन म0प्र0

अपील अन्तर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से अपील निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

-----2

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, रिस्पांडेन्ट नागू के व्दारा अधीनस्थ न्यायालय रिस्पांडेन्ट क्रमांक 8 के समक्ष बिना किसी आदेश के कथित आदेश तारीखी 13-6-97 दर्शित करते हुए बिना कोई आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत किये, अपीलांट के विरूद्ध एक अपील पेश की जिसमें यह वर्णित किया गया कि कथित तारीखी 13-6-97 को नायब तहसीलदार उज्जैन के व्दारा रिस्पांडेन्ट क्रमांक 1 के विरूद्ध तथा वर्तमान अपीलांट के पक्ष में कोई आदेश पारित किया गया है, उसे निरस्त किया जावे तथा विचाराधीन अपील के दौरान उक्त आदेश को स्थगित किया जावे, पर से अधिनस्थ न्यायालय रिस्पांडेन्ट क्रमांक 8 ने दिनांक 24-6-97 को बिना कोई प्रकरण की परीस्थीतियों को समझे एक पक्षीय रूप से स्थगन आदेश जारी किया जबकि वास्तव में दिनांक 13-6-97 का किसी भी सक्षम अधिकारी का या नायब तहसीलदार का कोई आदेश ही नहीं था ।

2- यह कि, उक्त दिनांक को रिस्पांडेन्ट को भी नोटिस जारी करने का आदेश हुआ किन्तु पुरे प्रकरण में प्रकरण से सम्बन्धीत रिकार्ड को बुलाने का कभी कोई आदेश अधिनस्थ न्यायालय रिस्पांडेन्ट क्रमांक 8 के व्दारा नहीं दिया गया । अपीलांट आगामी दिनांक 9-9-97 को अपने अभिभाषक के व्दारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और अभिभाषक महोदय के व्दारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आगामी दिनांक 13-10-97 को एक आवेदन-पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया गया जिसमें यह निवेदन किया कि अपील में वर्णित आदेश तारीखी 13-6-97 का कोई आदेश ही नहीं है, इसलिये बिना किसी आदेश के व प्रमाणित प्रतिलपी के उक्त अपील माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से निरस्त की जावे तथा साथ ही यह भी निवेदन किया कि कथित आदेश के बारे में भी रिस्पांडेन्ट क्रमांक 1 का यह कहना है कि वह नायबतहसीलदार का है, तो भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सीधा माननीय न्यायालय को नहीं आता है इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं स्थगन आदेश निरस्त किया जावे, किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय के व्दारा नहीं की गई ।

3- यह कि, दिनांक 7-11-97 को रिस्पांडेन्ट के अभिभाषक के व्दारा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट था, बिना कोई वैधानिक प्रक्रिया का पालन किये, लिखातम सूची के अनुसार कागजात प्रस्तुत किये गये ।

4- यह कि, दिनाक 5-12-97 को रेस्पा. के अभिभाषक ~~अपीलांट के~~ व्दारा एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया तथा उसी दिनांक को एक आवेदन-पत्र और अवधि विधान की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 5-12-97 को ही वर्तमान अपीलांट जो कि अधीनस्थ न्यायालय में रिस्पांडेन्ट था, के व्दारा भी एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 का प्रस्तुत किया गया और निवेदन किया कि यह स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो गई है कि अपील मेमो में वर्णित दिनांकित कोई आदेश ही नहीं है । यह अपीलांट ने स्वयं ही स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय से अपील एवं स्थगन निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया । तदोपरान्त प्रकरण उभय पक्षों की ओर से आवेदनों के जवाब बहस के लिये चलता रहा । पुन: दिनांक 23-12-97 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विवादित करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन अपील को निरस्त करने का निवेदन किया । साथ ही दि0 16-1-98 को अधीनस्थ न्यायालय में यह भी निवेदन किया कि नागू का स्वर्गवास हो गया है, इस पर से अपीलांट की ओर से दिनांक 23-1-98 को एक आवेदन पुन: प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह प्रकरण संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत है, जिसकी कि कार्यवाही व्यक्तिश: होती है, इसलिये अब उक्त अपील चलने योग्य नहीं होने से निरस्त की जावे । किन्तु फिर भी पेशी दर पेशी प्रकरण चलता ही रहा और दिनांक 6-2-98 को नागू की तरफ से उनके अभिभाषक के व्दारा एक आवेदन-पत्र वारिसों को रिकार्ड पर लेने के लिये अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 भू-राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया और पुन: प्रकरण पेशी दर पेशी प्रकरण में प्रस्तुत आवेदनों के जवाब बहस के लिये चलता रहा और अन्त में दिनांक 10-3-98 को एक और आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता का तेजु वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया और उक्त दिनांक को मात्र उन आवेदनों पर ही बहस श्रवण की गई और यही निवेदन हमने इस आवेदन-पत्र में भी किया था । प्रकरण के गुण-दोषों

पर कोई सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय में नहीं की गई । तदोपरान्त तेजु जो कि अधिनस्थ न्यायालय में रिस्पाडेन्ट था, को पीठ पीछे एवं उसके अभिभाषक को बिना कोई सूचना दिये और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किये बिना पुनः नाथू की ओर से लिखातम सूची के अनुसार कथित कागजात प्रस्तुत किये गये जो कि अपीलांट को विवादित आदेश को पढते वक्त प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ ।

5- यह कि, उपरोक्तानुसार तथ्यों के मध्येनजर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 325/96-97/अपील में पारित आदेश तारीखी 11-3-98, जिसकी की प्रमाणीत प्रतिलिपी के लिये अपीलांट ने दिनांक [redacted] 24-3-98 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, तथा विवादित आदेश की प्रमाणीत प्रतिलिपी दिनांक 3-4-98 को प्राप्त हुई, इस प्रकार से नकल के दिन मुजरा देने पर अपील अन्दर अवधि निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है ।

अपील के आधार

6- यह कि, माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय का विवादित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है ।

7- यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपील मेमों में वर्णित कथित आदेश को अस्तित्व में नहीं होता हुए मानते हुए भी विवादित आदेश पारित करने में त्रुटी की है ।

8- यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने यह करार देने में त्रुटि की है कि विवादित आदेश दिनांक 13-9-96 का है । इसलिये भी विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

9- यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालयने बिना कोई वैधानिक प्रक्रिया के पालन किये, उनके समक्ष विचाराधीन अपील को अपीलांट की स्पष्ट आपत्ति होते हुए उसका निराकरण किये बिना क्षेत्राधिकार के बाहर विवादित आदेश पारित करने में त्रुटी की है ।

R 1096/98 उन्नाव
तेजू / नागू

21.10.2016	आवेदक की ओर से श्री एन०एस० सिसौदिया अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।	
	अध्यक्ष	

[क्र. प. 3.

जवाल निम्नानुसार सादर